संख्या-14/2017/958/18-4-2017-02(नि0अ0)/16

प्रेषक,

पन्ना लाल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
उ0प्र0 लखनऊ ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त,2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत "उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना" के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-65/4-वित्त/बजट मांग/2017-18, दिनांक 04-8-2017 तथा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कानपुर के पत्र संख्या-37/निर्यात/बजट/2017-18, दिनांक 02-8-2017 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-629/18-4-2017-2(नि0आ0)/16, दिनांक 21-6-2017 के अनुक्रम में ""उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़) मात्र के सापेक्ष अवशेष धनराशि (रू0 500.00 लाख- रू0 208.00 लाख)= रू0 292.00 लाख (रूपये दो करोड बानवे लाख) मात्र निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर अपर आयुक्त, उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ के माध्यम से अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को "उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना" के अंतर्गत प्रस्तावों के कियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों, नियमों/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत दिये गये मार्गदर्शन सिद्वान्तों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। जहॉ पर आवश्यक हो वहॉ पर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

(4) उपर्युकत स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त परियोजनायें "उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजनान्तर्गत" ही स्वीकृत की गई हैं।

(5) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 खाते में जमा नहीं किया जायेगा, बल्कि इसे आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा।

(6) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्ड्स आफ फाईनेन्सियल प्रोप्राइट्री) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार "उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना" की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु उक्त धनराशि व्यय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

12) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या-14/2017/958(1)/18-4-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-सचिव-वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टेट सेल, डिपार्टमेन्ट आफ कामर्स, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
5-कोषाधिकारी, लखनऊ ।
6-वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
7- निदेशक स्थानीय निधिलेखा परीक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद/निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय-125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8-वित्त, (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त् (आय-व्यय) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-1/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in